भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1394

सोमवार, 09 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक)

ई-श्रम पोर्टल और असंगठित श्रमिक

1394. श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभीः
श्री प्रदीप पुरोहितः
कैप्टन बृजेश चौटाः
श्री प्रवीण पटेलः
श्री दुलू महतोः
डॉ. हेमंत विष्णु सवराः
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्री दामोदर अग्रवालः
श्री पी. सी. मोहनः
श्री आलोक शर्माः
डॉ. राजेश मिश्राः
श्री अभिमन्यु सेठीः
श्री राजीव प्रताप रूडीः
श्री जुगल किशोरः
श्री बलभद्र माझीः
श्री सतीश कुमार गौतमः
श्री काली चरण सिंहः
श्री मनोज तिवारीः
श्री खगेन मुर्मुः
सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2025 में ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित एवं गिग अर्थव्यवस्था श्रमिकों के पंजीकरण में हुई प्रगति सहित वर्तमान में देश में उसके दायरे का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषरूप से कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले, मध्य प्रदेश के देवास-शाहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा के नबरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और निर्माण, मत्स्यपालन, बंदरगाह संबंधी कार्य, संभार तंत्र, घरेलू कार्य एवं प्लेटफॉर्म आधारित सेवाओं में क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पंजीकृत श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से ई-श्रम डेटा को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ किस हद तक एकीकृत किया गया है, नबरंगपुर संसदीय क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) श्रमिकों की प्रोफ़ाइल की डेटा सटीकता, पोर्टेबिलिटी और नियमित अद्यतन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा विशेषरूप से महाराष्ट्र के पालघर जैसे आदिवासी बाहुल्य जिलों में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का ई-श्रम को रोजगार, कौशल विकास या कल्याण प्लेटफॉर्म के साथ और अधिक एकीकृत करने का विचार है, यदि हां, तो विशेषरूप से ओडिशा के नबरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र के पालघर जैसे आदिवासी बाहुल्य जिलों में असंगठित और गिग अर्थव्यवस्था श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पंजीकृत करने की निगरानी की जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) एग्रीगेटरों द्वारा न्यायसंगत कार्य परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों सहित किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई या प्रोत्साहन संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा, ढांचा और समय-सीमा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (छ): असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारंभ किया। ई-श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों को पंजीकृत करता है और उन्हें स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करता है।

दिनांक 4 फरवरी 2026 तक की स्थिति के अनुसार**,** 31.50 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं।

वर्तमान कवरेज के साथ वर्ष 2025 के दौरान ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों और प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले**,** मध्य प्रदेश के देवास और शाजापुर जिलों और ओडिशा के नबरंगपुर जिले में वर्तमान कवरेज के साथ वर्ष 2025 के दौरान ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों और प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

वर्तमान कवरेज के साथ 2025 के दौरान ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों और प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के व्यवसाय क्षेत्रवार ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुबंध-IV में दिया गया है|

ओडिशा में नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का ब्यौरा अनुबंध-V में दिया गया है।

असंगठित कामगारों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच के लिए वन-स्टॉप-सोल्यूशन के रूप में ई-श्रम विकसित करने संबंधी बजट घोषणा 2024-25 के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम - "वन-स्टॉप-सोल्यूशन" का शुभारंभ किया।ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सोल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं को एकल पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकृत किया जाना शामिल है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को ई-श्रम के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने और अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने में उन्हें सक्षम बनाता है।

अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों की चौदह (14) योजनाओं को पहले ही ई-श्रम के साथ एकीकृत /मैप किया जा चुका है ताकि महाराष्ट्र के पालघर जैसे आदिवासी बहुल जिलों सहित पूरे देश में ई-श्रम कार्डधारकों को सामाजिक सुरक्षा, बीमा या कौशल विकास कार्यक्रमों के लाभ और पहुंच का विस्तार किया जा सके| इन योजनाओं में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्व-निधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), विकसित भारत-रोजगार के लिए गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जीआरएमजी), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त के अलावा, ई-श्रम नौकरी के अवसरों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसएम) और एमओएचयूए के अभिसरण पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है।

ई-श्रम पोर्टल में, आधार-आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण पूरा होने के बाद ही पंजीकरण किया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि फर्जी या धोखाधड़ी वाले पंजीकरण प्रभावी ढंग से समाप्त हो जाएं। इसके अलावा, डेटा प्रामाणिकता और सटीकता बनाए रखने के लिए नाम, लिंग, जन्म तिथि, स्थायी पता और फोटो जैसे प्रमुख तथ्यों को सीधे यूआईडीएआई से प्राप्त किया जाता है। ये उपाय सामूहिक रूप से पोर्टल की अखंडता की रक्षा करते हैं और किसी भी दुरुपयोग को रोकते हैं।

ई-श्रम पहल के तहत पंजीकरण बढ़ाने और महाराष्ट्र के पालघर जैसे आदिवासी बहुल जिलों के असंगठित कामगारों सहित असंगठित कामगारों के व्यापक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने एक व्यापक कार्यनीति अपनाई है। वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से स्व-पंजीकरण को सक्षम करने के अलावा, कामगारों के लिए आसान पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी), राज्य सेवा केंद्र (एसएसके) और उमंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहायता युक्त पंजीकरण मोड शुरू किए गए हैं। ई-श्रम उन प्रावधानों की भी अनुमति देता है जहां पंजीकृत

कामगार ई-श्रम पोर्टल या कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) के माध्यम से अपने प्रोफाइल को अद्यतित कर सकते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय पंजीकरण अभियान, सामुदायिक पहुंच कार्यक्रम और स्थानीय रूप से तैयार संचार संबंधी प्रयासों से युक्त लक्षित जागरूकता अभियान चला रहा है। पहुँच (आउटरीच) को और सुदृढ बनाने के लिए, मंत्रालय वीडियो, ट्यूटोरियल और अन्य जानकारीपूर्ण सामग्री प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया चैनलों का लाभ उठाता है, जिससे पहल और अधिक सुलभ और ग्राह्य हो जाती है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कानूनों को एक ही ढांचे में समेकित करने और सरल बनाने तथा सामाजिक सुरक्षा कवरेज को संगठित, असंगठित, गिग, प्लेटफॉर्म और स्व-नियोजित कामगार सहित सभी कामगारों तक विस्तारित करने के उद्देश्य से दिनांक 21.11.2025 को लागू कर दिया गया है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा लाभों तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित की गयी है, सभी रोजगारों और राज्यों में लाभों की पोर्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया गया है, केंद्र और राज्य सरकारों को उचित योजनाएं बनाने में सक्षम बनाया गया है, कुशल वितरण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और विकसित हो रही श्रम बाजार स्थितियों के अनुरूप कार्यबल को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकारों, नियोक्ताओं और एग्रीगेटर्स की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

पहली बार, 'गिग वर्कर्स' और 'प्लेटफॉर्म वर्कर्स' की परिभाषा और इससे संबंधित उपबंध सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में प्रदान किए गए हैं।

इस संहिता गिग कामगारों और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के लिए जीवन और नि:शक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय किए जाने का उपबंध करती है। यह संहिता गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना का भी उपबंध करती है।

इस संहिता में समुचित सरकार द्वारा असंगठित, गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के लिए टोल-फ्री कॉल सेंटर, या हेल्पलाइन या सुविधा केंद्र स्थापित करने के प्रावधान हैं। इन सुविधाओं का उद्देश्य उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना, पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्रों को फाइल करना, उनकी प्रोसेसिंग करना और अग्रेषित करना, पंजीकरण प्राप्त करने में सहायता करना और पंजीकृत असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन को सुविधाजनक बनाना है।

*****

*****

अनुबंध-I

"ई-श्रम पोर्टल और असंगठित श्रमिक" के संबंध में श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभी, श्री प्रदीप पुरोहित, कैप्टन बृजेश चौटा, श्री प्रवीण पटेल, श्री दुलू महतो, डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, श्री महेंद्र सिंह सोलंकी, श्री दामोदर अग्रवाल, श्री पी. सी. मोहन, श्री आलोक शर्मा, डॉ. राजेश मिश्रा, श्री अभिमन्यु सेठी, श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री जुगल किशोर, श्री बलभद्र माझी, श्री सतीश कुमार गौतम, श्री काली चरण सिंह, श्री मनोज तिवारी, श्री खगेन मुर्मु, सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा दिनांक 09.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1394 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 04.02.2026 तक की वर्तमान कवरेज सहित वर्ष 2025 के दौरान ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों और प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स का राज्यवार विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वर्ष 2025 के दौरान असंगठित कामगारों के पंजीकरण की संख्या	04.02.2026 तक असंगठित कामगारों की कुल पंजीकरण संख्या	वर्ष 2025 के दौरान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के पंजीकरण की संख्या	दिनांक 04.02.2026 तक प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के कुल पंजीकरण की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2,730	35,250	142	194
2	आंध्र प्रदेश	6,52,006	88,16,453	32,619	39,155
3	अरुणाचल प्रदेश	13,357	2,14,440	531	676
4	असम	2,13,721	78,10,995	9,842	27,561
5	बिहार	25,31,849	3,22,46,771	87,324	1,09,819
6	चंडीगढ़	4,907	1,90,561	486	2,670
7	छतीसगढ	1,01,153	86,40,006	4,046	6,128
8	दिल्ली	1,29,252	36,22,083	12,930	49,556
9	गोवा	11,816	88,653	763	923
10	गुजरात	4,03,230	1,23,28,647	20,821	34,869
11	हरियाणा	65,613	54,21,939	7,876	20,397
12	हिमाचल प्रदेश	30,294	20,16,500	1,018	1,850
13	जम्मू और कश्मीर	68,491	36,29,235	2,015	3,449
14	झारखंड	1,96,859	98,15,813	8,435	15,969
15	कर्नाटक	5,44,904	1,10,32,529	16,218	37,928
16	केरल	90,557	61,07,347	6,965	11,220

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वर्ष 2025 के दौरान असंगठित कामगारों के पंजीकरण की संख्या	04.02.2026 तक असंगठित कामगारों की कुल पंजीकरण संख्या	वर्ष 2025 के दौरान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के पंजीकरण की संख्या	दिनांक 04.02.2026 तक प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के कुल पंजीकरण की संख्या
17	लद्दाख	1,809	35,409	39	48
18	लक्षद्वीप	57	2,864	2	4
19	मध्य प्रदेश	6,93,984	1,92,50,542	19,349	34,749
20	महाराष्ट्र	9,08,107	1,83,52,630	1,00,875	1,35,035
21	मणिपुर	17,416	4,70,695	539	694
22	मेघालय	33,224	3,61,056	653	812
23	मिजोरम	7,770	72,992	105	147
24	नागालैंड	10,748	2,42,615	472	568
25	ओडिशा	1,26,103	1,36,87,693	7,074	16,799
26	पुदुचेरी	8,190	1,98,376	288	485
27	पंजाब	1,42,508	59,22,881	6,434	15,322
28	राजस्थान	8,34,800	1,52,29,873	19,956	38,413
29	सिक्किम	8,303	50,544	285	320
30	तमिलनाडु	6,14,423	95,90,336	23,394	31,802
31	तेलंगाना	1,68,164	46,42,738	16,018	30,016
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,502	75,794	86	136
33	त्रिपुरा	15,206	9,01,929	1,304	2,057
34	उत्तर प्रदेश	4,75,850	8,42,67,050	32,105	1,30,977
35	उत्तराखंड	46,132	31,08,332	3,363	6,178
36	पश्चिम बंगाल	1,34,117	2,65,51,901	13,946	54,860

अनुबंध-II

"ई-श्रम पोर्टल और असंगठित श्रमिक" के संबंध में श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभी, श्री प्रदीप पुरोहित, कैप्टन बृजेश चौटा, श्री प्रवीण पटेल, श्री दुलू महतो, डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, श्री महेंद्र सिंह सोलंकी, श्री दामोदर अग्रवाल, श्री पी. सी. मोहन, श्री आलोक शर्मा, डॉ. राजेश मिश्रा, श्री अभिमन्यु सेठी, श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री जुगल किशोर, श्री बलभद्र माझी, श्री सतीश कुमार गौतम, श्री काली चरण सिंह, श्री मनोज तिवारी, श्री खगेन मुर्मु, सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा दिनांक 09.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1394 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक: 04.02.2026 तक कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले, मध्य प्रदेश के देवास और शाजापुर जिलों और ओडिशा के नबरंगपुर जिले में वर्तमान कवरे सहित वर्ष 2025 के दौरान ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों और प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स का विवरण।

क्र. सं.	**राज्य**	**जिला**	**वर्ष 2025 के दौरान असंगठित कामगारों के पंजीकरण की संख्या**	**04.02.2026 तक असंगठित कामगारों की कुल पंजीकरण संख्या**	**वर्ष 2025 के दौरान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के पंजीकरण की संख्या**	**दिनांक 04.02.2026 तक प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के कुल पंजीकरण की संख्या**
1	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़	8,315	2,54,903	340	617
2	मध्य प्रदेश	देवास	20,643	3,49,247	375	710
		शाजापुर	7,496	1,90,847	238	415
3	ओडिशा	नबरंगपुर	2,223	3,69,799	103	130

अनुबंध-III

"ई-श्रम पोर्टल और असंगठित श्रमिक" के संबंध में श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभी, श्री प्रदीप पुरोहित, कैप्टन बृजेश चौटा, श्री प्रवीण पटेल, श्री दुलू महतो, डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, श्री महेंद्र सिंह सोलंकी, श्री दामोदर अग्रवाल, श्री पी. सी. मोहन, श्री आलोक शर्मा, डॉ. राजेश मिश्रा, श्री अभिमन्यु सेठी, श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री जुगल किशोर, श्री बलभद्र माझी, श्री सतीश कुमार गौतम, श्री काली चरण सिंह, श्री मनोज तिवारी, श्री खगेन मुर्मु, सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा दिनांक 09.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1394 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 04.02.2026 तक की वर्तमान कवरेज सहित ई-श्रम पोर्टल पर वर्ष 2025 के दौरान पंजीकृत असंगठित कामगारों और प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स का व्यवसाय क्षेत्रवार विवरण।

क्र. सं.	व्यावसायिक क्षेत्र	वर्ष 2025 के दौरान असंगठित कामगारों के पंजीकरण की संख्या	04.02.2026 तक असंगठित कामगारों की कुल पंजीकरण संख्या	वर्ष 2025 के दौरान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के पंजीकरण की संख्या	दिनांक 04.02.2026 तक प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के कुल पंजीकरण की संख्या
1	कृषि	37,71,836	16,29,94,307	1,231	1,10,621
2	परिधान	8,02,346	2,06,89,804	1,870	8,939
3	ऑटोमोबाइल और परिवहन	2,96,404	84,69,240	1,21,724	1,99,760
4	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा	1,655	45,772	3	340
5	सौंदर्य और स्वास्थ्य	92,055	21,34,120	9,146	12,529
6	पूंजीगत वस्तुएं और विनिर्माण	1,30,323	65,04,690	8,720	20,859
7	निर्माण	8,61,935	2,87,50,815	11,276	52,637
8	घरेलू और गृह कामगार	5,66,610	2,93,72,313	49,158	56,731
9	शिक्षा	1,79,335	53,02,645	4,340	10,637
10	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	1,18,336	50,68,364	11,932	25,256
11	खाद्य उद्योग	2,92,204	17,03,744	1,70,858	1,92,631
12	रत्न और आभूषण	23,325	10,30,722	23	1,830
13	कांच और सिरेमिक	6,772	2,92,451	1	252
14	हस्तशिल्प और कालीन	62,235	23,66,709	53	2,097
15	स्वास्थ्य सेवा	2,02,655	35,68,318	934	6,677
16	चमड़ा उद्योग	1,33,240	61,77,178	34	13,735

क्र. सं.	व्यावसायिक क्षेत्र	वर्ष 2025 के दौरान असंगठित कामगारों के पंजीकरण की संख्या	04.02.2026 तक असंगठित कामगारों की कुल पंजीकरण संख्या	वर्ष 2025 के दौरान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के पंजीकरण की संख्या	दिनांक 04.02.2026 तक प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के कुल पंजीकरण की संख्या
17	खनन	11,025	4,58,659	12	362
18	विविध	11,47,267	1,47,77,087	65,078	1,10,169
19	संगीत वाद्ययंत्र	8,587	1,17,020	18	326
20	कार्यालय प्रशासन और सुविधा प्रबंधन	1,89,342	30,73,461	270	12,062
21	संगठित खुदरा	1,898	89,014	8	339
22	मुद्रण	17,043	5,07,533	37	1,773
23	निजी सुरक्षा	15,506	4,64,215	83	3,808
24	पेशेवर	30,480	8,34,435	32	1,681
25	खुदरा	57,775	23,84,996	88	5,810
26	सेवा	13,744	3,04,607	16	905
27	वस्त्र और हथकरघा	5,262	2,08,029	13	306
28	तंबाकू उद्योग	39,508	27,38,966	67	2,652
29	पर्यटन और आतिथ्य	2,24,020	43,74,257	1,282	5,730
30	लकड़ी और बढ़ईगीरी	6,429	2,08,355	11	332

अनुबंध-IV

"ई-श्रम पोर्टल और असंगठित श्रमिक" के संबंध में श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभी, श्री प्रदीप पुरोहित, कैप्टन बृजेश चौटा, श्री प्रवीण पटेल, श्री दुलू महतो, डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, श्री महेंद्र सिंह सोलंकी, श्री दामोदर अग्रवाल, श्री पी. सी. मोहन, श्री आलोक शर्मा, डॉ. राजेश मिश्रा, श्री अभिमन्यु सेठी, श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री जुगल किशोर, श्री बलभद्र माझी, श्री सतीश कुमार गौतम, श्री काली चरण सिंह, श्री मनोज तिवारी, श्री खगेन मुर्मु, सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा दिनांक 09.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1394 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 04.02.2026 तक की स्थिति के अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत नामांकित असंगठित कामगारों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र राज्यवार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य	ओएनओआरसी	पीएम-स्वनिधि	वीबी-जी राम जी	पीएमएवाई-जी	आईजीएनडीपीएस	आईजीएनडब्ल्यूपीएस	पीएमएवाई-यू	पीएमएमएसवाई	पीएमजेजेबीवाई	पीएमएसबीवाई	पीएमजेएवाई	पीएमकारल	पीएमएमवीवाई
1	अंडमान एंव निकोबार द्वीप समूह	9,364	180	2,191	364	1	5	16	13	4,859	11,725	25,931	1,317	27
2	आंध्र प्रदेश	54,96,125	1,37,502	34,76,629	61,880	5,114	1,30,365	4,80,828	1,205	11,31,807	31,10,289	75,15,733	10,49,600	48,386
3	अरुणाचल प्रदेश	1,20,471	2,537	98,313	7,992	340	1,362	2,200	17	16,142	61,192	48,211	46,186	84
4	असम	71,02,506	24,981	24,33,850	2,81,103	8,835	29,874	27,894	2,719	3,77,496	16,40,386	41,16,773	10,32,353	1,47,723
5	बिहार	2,70,10,004	86,773	51,04,642	19,31,412	20,868	83,563	45,890	550	21,33,466	89,49,415	2,43,52,355	38,32,892	4,90,675
6	चंडीगढ़	1,25,215	3,413	2,105	825	27	322	76	-	15,276	49,512	1,07,442	7,866	3,262
7	छत्तीसगढ	65,16,367	44,493	37,99,558	5,08,437	12,713	74,975	77,717	178	7,74,110	28,86,284	78,44,108	12,09,925	1,40,626
8	दिल्ली	22,77,355	92,859	28,554	16,447	1,150	534	3,390	7	2,04,757	8,08,316	4,26,663	1,18,076	57,685
9	गोवा	46,925	323	2,187	134	48	601	9	27	8,596	23,763	12,997	2,010	1,165
10	गुजरात	90,12,238	2,29,084	13,36,807	2,51,662	7,582	1,00,370	26,921	93	8,56,371	28,88,459	96,48,481	17,38,823	1,17,466
11	हरियाणा	44,46,739	77,953	5,36,524	16,837	7,157	23,576	8,858	298	6,04,425	14,64,491	43,24,773	4,26,765	38,056
12	हिमाचल प्रदेश	10,34,006	2,756	7,54,042	9,977	55	1,585	4,094	75	1,47,358	4,33,598	6,41,615	3,54,909	596

क्र.सं.	राज्य	ओएनओआरसी	पीएम-स्वनिधि	वीबी-जी राम जी	पीएमएवाई-जी	आईजीएनडीपीएस	आईजीएनडब्ल्यूपीएस	पीएमएवाई-यू	पीएमएमएसवाई	पीएमजेजेबीवाई	पीएमएसबीवाई	पीएमजेएवाई	पीएमकारल	पीएमएमवीवाई
13	जम्मू और कश्मीर	28,23,197	11,158	9,51,489	1,35,909	950	2,466	17,061	411	26,085	1,24,084	34,03,133	4,71,165	55,766
14	झारखंड	83,21,479	44,774	23,18,256	5,68,310	9,043	49,384	41,460	1,858	11,01,547	37,59,703	52,46,812	12,63,055	1,00,769
15	कर्नाटक	77,49,252	1,53,097	30,05,112	55,859	10,518	1,09,247	22,737	189	7,39,991	22,68,814	39,97,565	9,73,579	1,97,765
16	केरल	36,69,727	49,501	12,34,736	10,098	3,907	87,290	43,651	458	2,15,314	11,44,089	22,80,958	10,84,891	58,059
17	लद्दाख	26,159	129	13,679	484	7	24	97	24	1,002	3,810	31,615	7,971	556
18	लक्षद्वीप	1,487	3	70	10	8	2	1	1	178	560	1,850	308	28
19	मध्य प्रदेश	1,57,12,347	4,72,214	41,84,959	2,93,994	2,913	9,387	1,86,399	605	14,96,756	64,86,974	1,27,37,288	29,09,336	4,86,327
20	महाराष्ट्र	1,40,05,503	3,19,156	26,75,828	2,21,958	2,443	30,708	35,377	752	15,03,720	50,17,999	1,08,76,112	22,58,613	2,65,747
21	मणिपुर	4,23,226	4,841	1,98,263	29,014	71	2,069	8,143	216	18,285	80,286	1,94,743	29,532	14,520
22	मेघालय	2,14,182	19	2,11,143	45,299	237	1,767	739	417	15,855	69,829	1,96,027	76,118	3,962
23	मिजोरम	52,358	590	27,070	5,059	29	102	2,490	5	2,029	8,831	49,334	21,169	358
24	नागालैंड	2,30,491	1,586	77,648	13,394	20	139	7,541	625	13,779	72,319	1,98,433	89,566	3,687
25	ओडिशा	1,22,40,120	35,170	28,03,569	11,41,243	33,997	1,59,156	75,615	415	15,79,284	55,38,635	27,012	19,67,773	1,850
26	पुदुचेरी	1,58,801	1,579	30,329	90	181	516	5,267	6,991	11,360	33,286	1,19,352	2,973	1,262
27	पंजाब	45,29,307	76,349	7,01,083	16,952	1,022	2,660	14,295	46	4,82,185	15,55,688	30,49,201	2,37,690	1,08,463
28	राजस्थान	1,05,65,340	89,909	48,14,732	4,46,295	5,725	48,092	49,934	3	13,17,832	47,44,287	65,46,502	22,66,513	4,64,427

क्र.सं.	राज्य	ओएनओआरसी	पीएम-स्वनिधि	वीबी-जी राम जी	पीएमएवाई-जी	आईजीएनडीपीएस	आईजीएनडब्ल्यूपीएस	पीएमएवाई-यू	पीएमएमएसवाई	पीएमजेजेबीवाई	पीएमएसबीवाई	पीएमजेएवाई	पीएमकारल	पीएमएमवीवाई
29	सिक्किम	38,039	273	15,715	200	1	3	4	31	5,360	15,208	11,209	5,210	270
30	तमिलनाडु	61,21,880	86,671	35,24,510	2,07,577	7,352	57,264	45,037	1,649	6,14,957	19,36,788	45,83,688	5,48,284	42,289
31	तेलंगाना	31,55,414	1,39,913	16,79,279	689	5,426	23,006	809	56	4,35,452	12,57,076	22,47,439	7,11,819	820
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	54,435	705	1,578	1,075	10	55	148	3	7,013	16,999	51,812	4,366	123
33	त्रिपुरा	6,57,524	2,820	4,92,707	1,55,585	299	1,430	20,519	1,124	89,989	2,25,812	8,22,070	1,11,446	66
34	उत्तर प्रदेश	6,78,65,224	9,54,713	92,74,038	17,68,160	4,576	44,404	10,90,202	1,623	44,08,161	1,87,37,522	3,24,06,536	1,20,58,260	2,44,287
35	उत्तराखंड	21,26,835	15,190	6,12,132	37,448	370	3,489	14,542	185	1,98,866	8,76,489	27,65,462	3,56,663	58,412
36	पश्चिम बंगाल	1,88,80,127	87,009	54,31,301	15,82,554	14,579	93,521	1,28,719	1,014	19,92,421	88,34,011	96,782	22,69,224	22,264

अनुबंध-V

"ई-श्रम पोर्टल और असंगठित श्रमिक" के संबंध में श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभी, श्री प्रदीप पुरोहित, कैप्टन बृजेश चौटा, श्री प्रवीण पटेल, श्री दुलू महतो, डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, श्री महेंद्र सिंह सोलंकी, श्री दामोदर अग्रवाल, श्री पी. सी. मोहन, श्री आलोक शर्मा, डॉ. राजेश मिश्रा, श्री अभिमन्यु सेठी, श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री जुगल किशोर, श्री बलभद्र माझी, श्री सतीश कुमार गौतम, श्री काली चरण सिंह, श्री मनोज तिवारी, श्री खगेन मुर्मु, सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा दिनांक 09.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1394 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ओडिशा के नबरंगपुर जिले में 04.02.2026 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत नामांकित असंगठित श्रमिकों का विवरण।

क्र.सं.	स्कीम	नामांकन
1	एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी)	3,48,435
2	प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि)	258
3	रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए विकसित भारत-गारंटी (वीबी-जी राम जी)	1,32,892
4	प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)	51,864
5	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)	807
6	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस)	4,779
7	प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू)	1,114
8	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	5
9	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)	26,472
10	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)	1,14,885
11	आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई)	714
12	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	57,979
13	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)	69

*****